केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

दिनांक: 30.08.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/261
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00253
CICOM/R/2016/01613, 01614, 01616, 01625 एवं 01626

अपीलकर्ता : कु0 रजनी देवी, द्वारा – श्री श्रीराम,
रि0 रे0 स्टे0 मास्टर, आदर्श नगर कालोनी,
गली नं. 1, रोजा जं0, जिला – शाहजहाँपुर,
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 30.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.12.2016 (पांच आवेदन)
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.12.2016 (CICOM/R/2016/01613) 27.12.2016 (CICOM/R/2016/01614) 05.01.2017 (CICOM/R/2016/01616) 05.01.2017 (CICOM/R/2016/01625) 11.01.2017 (CICOM/R/2016/01626)
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा, श्री एस.सी.शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156375, 156380, 156382, 156383 156386 दिनांक 14.08.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.12.2016 को केन्द्रीय सूचना आयोग में दाखिल किए गए पांच आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित सूचनाएं संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा निर्धारित समायवधि में उपलब्ध करवा दी गई है । अपीलकर्ता ने पांच आर.टी.आई. आवेदनों (CICOM/R/2016/01613, CICOM/R/2016/01614, CICOM/R/2016/01616, CICOM/R/2016/01625 एवं CICOM/R/2016/01626) से संबंधित प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में उल्लेख किया है कि इनमें वांछित सूचना नहीं है । अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने दिनांक 06.03.2017, 19.05.2017 व 29.07.2017 को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा था, परन्तु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के पांच आर.टी.आई. आवेदनों (CICOM/R/2016/01613, CICOM/R/2016/01614, CICOM/R/2016/01616, CICOM/R/2016/01625 एवं CICOM/R/2016/01626) के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई **सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.03.2017, 19.05.2017 व 29.07.2017 को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में जांच करने पर पाया गया कि उक्त तीनों पत्र बिल्कुल समान विषय वस्तु के थे, जिनमें अपीलकर्ता द्वारा पांच आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में उल्लेख किया गया था कि चूंकि पांचों आर.टी.आई. आवेदन एक ही तिथि के हैं इसलिए उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि किस आर.टी.आई. आवेदन का उत्तर कौन सा है । इस संदर्भ में आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा सूचित किया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 06.03.2017 का पत्र जो कि आर. टी. आई.

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
01 SEP 2017
D. No.........
Initials.........

---2/-

प्रकोष्ठ में दिनांक 20.04.2017 को प्राप्त हुआ था के संदर्भ में अपीलकर्ता को दिनांक 21.04.2017 को ही उनके मोबाइल पर संपर्क कर स्पष्ट कर दिया गया था कि किस आवेदन के संदर्भ में कौन सी सूचना प्रदान की गई है । अपीलकर्ता के दिनांक 29.07.2017 के पत्र पर कार्यवाही करते हुए श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2017 को उक्त पांचों आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में पत्येक आवेदनों पर आर.टी.आई. रजिस्ट्रेशन नं. अंकित कर प्रत्येक आवेदनों के साथ संबंधित सूचना की प्रति संलग्न करते हुए पत्र भी लिखा गया है । अंतः अपीलकर्ता का यह आरोप कि उनके पत्रों पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल निराधार एवं गलत है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

Asr 11/09/17